सरकूलर नं0: अपमा/2014–2016/359 दिनांक: 16–8–2016

''वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी बिल) के विषय में''

साथियों, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी बिल) राज्य सभा एवं लोक सभा में पारित होने के पश्चात् कानून का रूप धारण कर चुका है, जिसे सम्पूर्ण देश में लागू होना है।

मूलरूप से हम इस कानून का समर्थन करते है व सरकार के वादे के अनुसार हमारे व्यापार की कर प्रणाली में सरलता व सहजता आ जायेगी जिससे हम व्यापारी लाभान्वित होंगे।

लकिन इस कानून के लागू होने पर हमें किन–किन तरीकों से कर प्रणाली के अन्तर्गत लाभ उठाना होगा और किस प्रकार हम इसका सदुपयोग कर पायेंगे और क्या इस कानून के अनुरूप जो धारायें बनाई जा रहीं हैं वह कितनी हमारे पक्ष में है या विरोध में होगा, इसकी जानकारी पत्येक व्यापारी को जानना आवश्यक है। आप सभी के प्रश्नों के तुरन्त जवाब देने के लिए और हम सभी को इस जीएसटी कानून के अन्तर्गत होने वाली सुविधाओं व कठिनाईयों के विषय में विस्तारपूर्वक जानने हेतु **अपमा दिनांक 17–8–2016 को जीएसटी पर कार्यशाला का आयोजन ''शाह आडीटोरियम'' श्री दिल्ली गुजराती समाज, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054 में सायं 5.00 बजे करने जा रही है। इस सभा को प्रसिद्ध वकील श्री सुशील वर्मा जी स्लाईड स्क्रीन (Projecter) के साथ हमारा मार्गदर्शन करेंगे** व व्यापारी नेता श्री प्रवीण खण्डेलवाल जी भी अपने विचार हमसे साझा करेंगे।

आपसे अनुरोध है कि आप समय से पूर्व पधार कर चाय नाश्ता ग्रहण करके अपना स्थान ले लें व इस विषय पर अपना ज्ञान बढायें जो आने वाले समय में हम सभी के काम आ सके।

साथियों, इस सभा के आयोजन में अपमा को आर्थिक सहयोग कर रहें हमारे व्यापारी श्री गुलशन सेठी मै0 ऑटो इलेक्ट्रीक सिंडिकेट के आभारी है जिनके आर्थिक सहयोग से यह कार्यक्रम भव्य रूप से किया जा रहा है।

अतः मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि समय से पहले पहुँचकर व अल्प आहार ग्रहण करने के पश्चात इस सभा का लाभ उठायें। आपके सहयोग में हमे सदा ही प्रसन्नता होती है।

धन्यवाद सहित

(आर.के. गुप्ता)
महासचिव

सभी व्यापारी भाईयों को पुनः सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में वस्तु और सवा कर (जीएसटी बिल) लागू किया जा रहा है। इस बिल में व्यापार से संबंधित कई ऐसे जटिल प्रावधान हैं यदि शीध्र ही उन जटिल प्रावधानों को बिल से नहीं हटवाया गया तो भविष्य में हमारा व्यापार खत्म हो जाऐगा।

साथियों, वस्तु और सेवा कर(जीएसटी बिल) के विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा हेतु **''शाह आडीटोरियम'' श्री दिल्ली गुजराती समाज, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054 में सायं 5.00 बजे एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।** इस कार्यशाला में वस्तु और सेवा कर(जीएसटी बिल) के विषय पर जानकारी देने हेतु विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया ह, ''श्री सुशील वर्मा जी'' मुख्य विशेषज्ञ होंगे जो व्यापारी भाईयों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के जवाब देंगें।

यदि किसी व्यापारी भाई को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी बिल) के विषय में जानना हो, समझना हो अथवा इस संबंध में उनके कोई प्रश्न हों तो वे इस कार्यशाला में पधारकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।

सभी व्यापारी भाईयों से पुनः अनुरोध है कि **बुद्धवार दिनांक 17–8–2016 को ''शाह आडीटोरियम'' श्री दिल्ली गुजराती समाज, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054 में आयोजित होने वाली कार्यशाला में** ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुॅंचकर विशेषज्ञों द्वारा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी बिल) के बारे में दी जाने वाली जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ उठाएं।

(आर.के. गुप्ता)
महासचिव